

समाहरणालय, सहरसा

(जिला नजारत शाखा)

Email ID:- zilanazaratsaharsa@gmail.com

पत्रांक 370-2 / नजा0

प्रेषक,

जिलाधिकरी,
सहरसा।

सेवा में,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
सहरसा जिला।

सहरसा, दिनांक 12 अगस्त, 2017.

विषय :- भागलपुर जिले में सरकारी खाते से जालसाजी द्वारा धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितता तथा सरकारी राशि की अवैध निकासी के आलोक में विभागों/कार्यालयों के अधीन संधारित बैंक खातों में संधारित राशि की जाँच के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक 5593/वि0 दिनांक 11.08.2017 के द्वारा निदेशित किया गया है कि भागलपुर जिले में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के संचालन इंडियन बैंक, भागलपुर में संधारित सरकारी बैंक खाते से जालसाजी एवं धोखाधड़ी कर सरकारी राशि की अवैध निकासी कर ली गयी है। अतः जिला स्तर पर भी सभी सरकारी खातों की जाँच करायी जानी है।

उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित की जाय :-

1. आपके कार्यालय में संधारित सभी बैंक खातों का अद्यतन बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर रोकड़ बही से उसका मिलान करा लिया जाय एवं किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करते हुये उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय।
2. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहरसा जिला अविलम्ब पत्र प्राप्ति के साथ ही यह प्रमाण-पत्र देंगे कि उनके द्वारा ऐसी जाँच संपन्न करा ली गयी है तथा उनके अन्तर्गत संचालित खातों से किसी प्रकार की अवैध निकासी का मामला नहीं है।
3. भविष्य में बैंक खातों में संधारित सरकारी राशि की शुद्धता की जाँच नियमित रूप से प्रत्येक माह में कराया जाय।

अनुलग्नक :-

वित्त विभाग, का पत्रांक 5593/वि, दिनांक 11.08.2017

विश्वासभाजन
12.8.17
जिलाधिकारी,
सहरसा।

3/63/CEO
11/8/17

1

7790
11/8/17

पत्र संख्या-एम-4-07/2017-5593-ति०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

Addl. Secy,

20

प्रभक,

सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-11/8/17

विषय:- भागलपुर जिले में सरकारी खाते से जालसाजी द्वारा धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितता तथा सरकारी राशि की अवैध निकासी के आलोक में विभागों/कार्यालयों के अधीन संधारित बैंक खातों में संधारित राशि की जाँच के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा प्रेषित किया गया है कि भागलपुर जिले में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के संचालनाथ इंडियन बैंक, भागलपुर में संधारित सरकारी बैंक खाते से जालसाजी एवं धोखाधड़ी कर सरकारी राशि की अवैध निकासी कर ली गयी है ।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि निम्नलिखित कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित की जाय :-

i) आपके कार्यालय में संधारित सभी बैंक खातों का अद्यतन बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर रोकटनी से उसका मिलान करा लिया जाय एवं किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करते हुये उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से वित्त विभाग को अवगत कराया जाय ।

ii) प्रत्येक जिला पदाधिकारी अविलम्ब यह प्रमाण पत्र देगे कि उनके द्वारा ऐसी जाँच संपन्न करा ली गयी है ।

iii) भविष्य में बैंक खातों में संधारित सरकारी राशि की शुद्धता की जाँच नियमित रूप से प्रत्येक माह में करगया जाय ।

विश्वासभाजन

10/8/17
(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव

P.T.O

ई-मेल


बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7. सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना-800015

दूरभाष सं०:- 0612-2217956
फैक्स:- 0612-2215611
ई-मेल:- ceo_bihar@eci.gov.in

ज्ञापांक :- बी०-114/2017- 2707

पटना, दिनांक 11 अगस्त, 2017 ई०।


प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को वित्त विभाग के पत्र सं०-5593/वि० दिनांक 11.08.2017 की प्रति सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
आपसे निदेशानुसार अनुरोध है कि वित्त विभाग, बिहार, पटना के संदर्भित पत्र की कंडिका i, ii एवं iii में दिये गये निदेश के आलोक में कार्रवाई कर यथाशीघ्र प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।


(सोहन कुमार ठाकुर)
अपर सचिव।

ज्ञापांक :- बी०-114/2017- 2707

पटना, दिनांक 11 अगस्त, 2017 ई०।

प्रतिलिपि :- सभी उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी/प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचना एवं यथाशीघ्र अनुपालन हेतु प्रेषित।


(सोहन कुमार ठाकुर)
अपर सचिव।